(60)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0)

COURT FEE 10 Rs. भारत दस रुपये TEN RUPEES — COURT FEE 1 Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE — FEE 2 रु. रुपये RUPEES — FEE 2 रु. RUPEES — CANCELLED CANCELLED

R 830-II/08

रामनिहोर काछी तनय स्व 0 श्री शोभनाथ काछी निवासी ग्राम रायपुर कर्चुलियान तह 0 रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0 प्र0)

- - - निगरानीकर्ता,

विरुद्ध

लल्लू प्रसाद वर्मा तनय पैतू वर्मा निवासी ग्राम रायपुर कर्चु 0 तह 0 रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0 प्र0) -गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान अपर आयुक्त महोदय रीवा के प्रकरण क्रमांक 1301 / अपील / 2006 / 2007 मे पारित आदेश दिनांक 24/ 6/ 2008

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 म0 प्र0 भू 0 रा 0 सं 0 सन 1959 ई 0

क्रमांक 1353 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 18-7-08 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

(2) यह कि विचारण न्यायालय तहसीलदार तह 0 रायपुर कर्चु 0 के न्यायालय मे गैर निगरानीकर्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा क्र 0 1569 / 1 रकबा 0. 144 आरे , 1570 रकबा 0. [illegible] आरे ,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 830–तीस/08 जिला–रीवा

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-8-16	आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 1301/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की है । 2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा दर्ज कियो जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जहां पर तहसीलदार ने विचारण पश्चात आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 19.04.2006 को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि स्थल जांच व राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लेते हुये आदेश पारित करें । इस आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा पुनः उभयपक्षों की सुनवाई करते हुये अनावेदक का कब्जा विवादित आराजी पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की गई । जहां पर अपील निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी कर्चुलियान के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । जहां प्रकरण क्रमांक	

1301/अपील/2006–07 पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 24.06.2008 को अपील सारहीन मानकर निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आनावेदक द्वारा एक फर्जी टीप सन 1950 के आधार पर आवेदक की पुस्तैनी स्वत्व तथा अधिपत की वादग्रस्त भूमि में कब्जा दर्ज कराने हेतु विचारण न्यायालया में आवेददन पत्र दिया गया था, जबकि उक्त टीप में विक्रेता कौन है । क्रेता कौन है तथा लेखक कौन है किसी का कोई नाम पता नहीं लिखा है और न ही हस्ता0 बने है इस कारण से प्रथम दृष्टया ही उक्त टीप पूर्ण रूप से फर्जी प्रतीत होना प्रमाणित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान न देते हुये जो आदेश पतिर किया है विधि विरूद्ध है । संहिता की धारा 115 के प्रावधानों के तहत खसरों का शुद्धी करण तहसीलदार स्वप्रेरणा से कर सकता है । किसी पक्षकार के आवेदन पर नहीं तथा संहिता की धारा 116 के प्रावधानों के तहत ऐसी प्रविष्टी की शुद्धी हो सकती है जिसका अस्तित्व पहले हो इस धारा के तहत नवीन प्रविष्टी नहीं की जा सकती है । पटवारी प्रतिवेदन तब तक साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता जब तक उसका कूट परीक्षण न्यायालय में न हो जाये। इसके अलावा पटवारी प्रतिवेदन बनाते समय अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है तथा मौके की स्थिति के वरिपरीत पटवारी प्रतिवेदन बनाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि के सह भूमिस्वामी सन्तलाल काछी जो खसरों में दर्ज है तथा कब्लेदार है तथा आवेदक का सगा छोटा भाई है, उसे अनावेद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है । जबकि सन्तलाल काछी प्रकरण में आवश्यक

पक्षकार है । इस प्रकार अनावेदक का आवेदन प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान न देते हुये आदेश पारित किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में प्रत्यावर्तित प्रकरण प्राप्त होने पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये पटवारी प्रतिवेदन मंगाया गया, जिसमें पटवारी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विवादित आराजी के भूमिस्वामी रामनिहोर दर्ज अभिलेख है तथा मौके पर नक्शा अनुसार अनावेदक लल्लू प्रसाद के पिता चैतू वर्मा का दीर्घकालीन कब्जा होना पाया गया । इससे यह स्पष्ट है कि विवादति आराजी पर कब्जा दखल अनावेदक का ही है तथा मौके पर स्थल पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें विवादित आराजी सरहदी काश्तकार के हस्ताक्षर बने है, जिन्होंने अनावेदक का कब्जा होना स्वीकार किया है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश दिनांक यथावत रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(के0बी0 जैन)
सदस्य